(112)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1602–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–07–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 484/2005–06/अपील.

.....

बलवन्त सिंह पुत्र निरपतसिंह
निवासी गाम खजूरी तहसील आरोन
जिला गुना म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

अभयराज सिंह पुत्र श्री भूरेराम रघुवंशी,
निवासी आरोन तहसील आरोन
जिला गुना म0प्र0 ..... अनावेदक

.....

श्री एम0पी0भटनागर, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0के0जैन, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 20/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–07–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खजूरी के प्रस्ताव कमांक 7 दिनांक 13–7–2002 के विरूद्ध मोकमसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 34/2003–04 इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि आलोच्य भूमि विकय से वर्जित है और विकेता को विकय का अधिकार प्राप्त नहीं है, ग्राम पंचायत के द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–10–2004 को अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को जॉच हेतु प्रेषित किया गया । तहसील न्यायालय के

द्वारा अपने प्रकरण कमांक 23/अ–6/2004–05 में दिनांक 6–7–2005 को आदेश पारित कर आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि आलोच्य भूमि राजस्व अभिलेख में विकय से वर्जित है । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 24–5–06 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर ग्राम पंचायत के आदेश की पुष्टि की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–07 आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश पुर्नस्थापित किया जाता है और अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार को यह निर्देश दिये गये कि वह आलोच्य भूमि से अतिकमण हटाया जाकर तत्काल कब्जा प्राप्त करें और तदनुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि बंटित नहीं हुई थी बल्कि वर्ष 1983–84 में व्यवस्थापित हुई है । भूमि का विकय 22 वर्ष पश्चात किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि विकय से प्रतिबंधित बताया गया है, इस भूमि का विकय पत्र फर्जी विकय पत्र नहीं है क्योंकि अनावेदक द्वारा भूमि विकय की गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करते समय तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं बताया है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के विकय पत्र की सही जॉच न करते हुये ग्राम पंचायत खजूरी द्वारा किया गया नामान्तरण स्वीकार न करने में कानूनी त्रुटि की गई है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में विवाद नामान्तरण का था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया है, इसलिये पटटा निरस्त किये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त तथ्य पर अपर आयुक्त द्वारा विचार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर अपील आंशिक स्वीकार करने में विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि है, जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय किया गया है, और ऐसे विकय के आधार पर आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । अतः ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित विकय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसीलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–10–2004 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है। तहसील न्यायालय द्वारा भी दिनांक 6–7–2005 को इसी आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में विकय से वर्जित अंकित है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा की गई उचित है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत के आदेश की पुष्टि करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–07–2007 स्थिर रखा जाता है निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर